72

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 विविध —एक / 17

धनीराम आदि ——आवेदक

विरूद्ध

मुन्नी ——अनावेदक

भूल—सुधार वावत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :—

1—यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 2075—तीन / 14 में दिनांक 18.01.2017 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से उक्त आदेश में पृष्ठ कमांक 1 में पैराग्राफ नम्बर 2 में लाइन नम्बर 2 में सर्वे कमांक 1656 / 11ख के स्थान पर 1656 / 1129 त्रुटिवश टंकित हो गया है।

2— यह कि, उक्त निगरानी में पृष्ठ कमांक 3 पर लाइन नम्बर 1 में भी सर्वे कमांक 1656 / 11ख के स्थान पर 1656 / 1129 त्रुटिवश टंकित हो गया है।

अतः मान0 न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश के पृष्ठ कमांक 1 में पैराग्राफ नम्बर 2 में लाइन नम्बर 2 में सर्वे कमांक 1656 / 1129 के स्थान पर 1656 / 11ख टंकित किया जावे, एवं पृष्ठ कमांक 3 पर लाइन नम्बर 1 में भी सर्वे कमांक 1656 / 1129 के स्थान पर 1656 / 11ख टंकित किये जाने की कृपा की जावे।

इति दिनांक 17 / 03 / 17

स्थान— ग्वालियर

द्वारा अभिभाषक

रजनी वशिष्ठ शर्मा

एडवोकेट

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9097–एक/17 जिला–टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
05-06.17	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर भूल सुधार बावत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 2075–तीन/14 में पारित आदेश दिनांक 18.1.2017 में भूलवश टंकण की त्रुटि से आदेश पृष्ठ क्रमांक–1 में पैरा नम्बर 2 में लाईन नम्बर 2 में सर्वे क्रमांक 1656/11ख के स्थान पर 1656/1129 त्रुटिवश टंकित हो गया है। इसी प्रकार आदेश के पृष्ठ क्रमांक–3 पर लाईन नम्बर–1 में भी सर्वे क्रमांक 1656/11ख के स्थान पर 1656/1129 त्रुटिवश टंकित हो गया है। उपरोक्त त्रुटि को सुधार करने का अनुरोध किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा आदेश के पृष्ठ क्रमांक–1 में पैरा नम्बर 2 में लाईन नम्बर 2 में सर्वे क्रमांक 1656/1129 के स्थान पर 1656/11ख पढ़ा जावे एवं इसी प्रकार आदेश के पृष्ठ क्रमांक– 3 पर लाईन नम्बर–1 में भी सर्वे क्रमांक 1656/1129 के स्थान पर 1656/11ख पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	